न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
21 / 2013 / प्रा.पत्र / 2013	25.11.2013	21.10.2021

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–विक्रेता श्री राकेश मित्तल पुत्र श्री चौथमल मित्तल जाति महाजन निवासी मेहन्दी बाग टोंक मैसर्स मित्तल जनरल स्टोर मित्तल जनरल स्टोर कलेक्ट्री के सामने टोंक जिला टोंक
2–प्रोपराईटर श्रीमति उषा मित्तल पत्नि श्री दामोदर दास मित्तल मेहन्दी बाग टोंक मैसर्स मित्तल जनरल स्टोर मित्तल जनरल स्टोर कलेक्ट्री के सामने टोंक जिला टोंक
3– मैसर्स मित्तल जनरल स्टोर मित्तल जनरल स्टोर कलेक्ट्री के सामने टोंक जिला टोंक
4–श्री कपूर चन्द अग्रवाल पुत्र श्री रामपाल अग्रवाल निवासी सोमेश्वर व्यास की गली, जडियों का रास्ता, चौडा रास्ता, जयपुर राजस्थान प्रोपरायटर मैसर्स जय शंकर नमकीन भण्डार दुकान नं. 3 सोथंली वालों की गली, चौडा रास्ता, जयपुर।
5– मैसर्स जय शंकर नमकीन भण्डार दुकान नं. 3 सोथंली वालों की गली, चौडा रास्ता, जयपुर।

जुर्म अन्तर्गत खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52

...... अप्रार्थी

उपस्थित–
1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अप्रार्थीगण उपस्थित

दिनांक 21.10.2021

:–<u>निर्णय</u>–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 28.08.2013 को समय 2[illegible] निरीक्षण मैसर्स मित्तल जनरल स्टोर मित्तल जनरल स्टोर कलेक्ट्री के सामने टोंक [illegible]। विक्रेता की हैसियत से श्री राकेश मित्तल पुत्र श्री चौथमल मित्तल [illegible] मेहन्दी बाग टोंक मैसर्स मित्तल जनरल स्टोर मित्तल जनरल स्टोर कलेक्ट्री के सामने टोंक जिला टोंक खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मि[illegible] को अपना परिचय दिया एवं परिचय [illegible] दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक श्रीमति उषा मित्तल [illegible]ना स्वीकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.11.29 10:26:08 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया,जो वर्ष 2013 के लिए वैध है।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे **नमकीन (जय शकंर ब्राण्ड)** रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. विक्रेता श्री राकेश मित्तल को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता राकेश मित्तल एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान की रैक मे 500 ग्राम के 25 पैकेट **नमकीन (जय शकंर ब्राण्ड)** रखे हुये मे से 500–500 ग्राम के 4 मूल पैक का चयन कर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता. श्री राकेश मित्तल को रू0 280/–अक्षरे दो सौ अस्सी रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **नमकीन (जय शकंर ब्राण्ड)** को ज्यो का त्यो चारो पैक्ड डिब्बो को अलग–अलग चार भागो मे विभाजित कर एंव नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–547 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–547 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता. राकेश मित्तल के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। खाध पदार्थ का नमूना क्रय करते समय श्री राकेश मित्तल ने मौके पर **नमकीन (जय शकंर ब्राण्ड)** का बतोर वारंटी मैसर्स जय शंकर नमकीन भण्डार दुकान नं. 3 सोथंली वालों की गली, चौडा रास्ता, जयपुर का बिल की छायाप्रति पेश की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक एंव जन विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को ... एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2013/3134 दिनांक 10.09.2013 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक एंव जन विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/413/एक्ट/2013/463 दिनांक 16.09.2013 अनुसार राकेश मित्तल से वास्ते

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.11.29 10:26:08 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया,जो वर्ष 2013 के लिए वैध है।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे **नमकीन (जय शकंर ब्राण्ड)** रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री राकेश मित्तल को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता राकेश मित्तल एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान की रैक मे 500 ग्राम के 25 पैकेट **नमकीन (जय शकंर ब्राण्ड)** रखे हुये मे से 500–500 ग्राम के 4 मूल पैक का चयन कर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता. श्री राकेश मित्तल को रू0 280/–अक्षरे दो सौ अस्सी रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **नमकीन (जय शकंर ब्राण्ड)** को ज्यो का त्यो चारो पैक्ड डिब्बो को अलग–अलग चार भागो मे विभाजित कर एंव नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–547 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–547 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता. राकेश मित्तल के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। खाध पदार्थ का नमूना क्रय करते समय श्री राकेश मित्तल ने मौके पर **नमकीन (जय शकंर ब्राण्ड)** का बतोर वारंटी मैसर्स जय शंकर नमकीन भण्डार दुकान नं. 3 सोथंली वालों की गली, चौडा रास्ता, जयपुर का बिल की छायाप्रति पेश की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक एंव जन विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा [illegible] मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए. [illegible] 2013 [illegible] 134 दिनांक 10.09.2013 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक [illegible] जन विश्लेषक [illegible] अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/413/एक्ट/2013/[illegible] राकेश मित्तल से वास्ते

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.11.29 10:26:08 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

नमूना जांच विक्रय किया गया **नमकीन (जय शकंर ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1) (zf) (c) (i) के अनुसार **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का **नमकीन (जय शकंर ब्राण्ड)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थीगण अनुपस्थित।अप्रार्थी संख्या 1 एंव अप्रार्थी संख्या 2 ता. 5 की और से उनके प्रतिनिधि द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **नमकीन (जय शकंर ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **नमकीन (जय शकंर ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री राकेश मित्तल पुत्र श्री चौथमल मित्तल जाति महाजन निवासी मेहन्दी बाग टोंक मैसर्स मित्तल जनरल स्टोर मित्तल जनरल स्टोर कलेक्ट्री के सामने टोंक जिला टोंक पर शास्ति 15,000 (अक्षरे पन्द्रह हजार रू0) अप्रार्थी श्रीमति उषा मित्तल पत्नि श्री दामोदर दास मित्तल मेहन्दी बाग टोंक मैसर्स मित्तल जनरल स्टोर मित्तल जनरल स्टोर कलेक्ट्री के सामने टोंक जिला टोंक पर शास्ति 15,000 (अक्षरे पन्द्रह हजार रू0) अप्रार्थी श्री कपूर चन्द अग्रवाल पुत्र श्री रामपाल अग्रवाल निवासी सोमेश्वर व्यास की गली, जडियों का रास्ता, चौडा रास्ता, जयपुर राजस्थान प्रोपरायटर मैसर्स जय शंकर नमकीन भण्डार दुकान नं. 3 सोथंली वालों की गली, चौडा रास्ता, जयपुर पर शास्ति 15,000 (अक्षरे पन्द्रह हजार रू0) आरोपित की जाती हैअभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 21.10.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

21-10-2021

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.11.29 10:26:08 IST
Reason: SelfAttested

(मुरारी लाल शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0

टोंक